

17 जनवरी, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

प्रारूप C7 का विश्लेषण – राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए दिए गए कारणों का प्रकाशन

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

टी-95, सी.एल. हाऊस, द्वितीय तल,
नज़दीक गुलमोहर कमर्शियल काम्पलेक्स,
गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049,
फोन नं.: 011-4165 4200

ईमेल: adr@adrindia.org

प्रस्तावना

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अपनी वेबसाइट पर 72 घंटों के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन करने के कारणों को सूचीबद्ध करें। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों के प्रकाशन पर 25 सितंबर, 2018 के अपने पहले के आदेश को लागू न करने के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका के आलोक में आया था, जिसे स्पष्ट रूप से बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के विवरण को व्यापक रूप से प्रकाशित करने में विफल रहने के लिए फटाकर लगाई थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों में विशेष रूप से राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे कारण बताएं की साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। इन अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए। अफसोस की बात है कि उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक दलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने फिर से 'धनबली और बाहुबली' के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी प्रथा का पालन किया है। 15 जुलाई, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के खिलाफ राजनीतिक दलों द्वारा अवमानना पर विचार किया। राजनीतिक दलों द्वारा गंभीर चूक को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि न तो विधायिका और न ही राजनीतिक दल कभी भी आपराधिक मामलों में आरोपित उम्मीदवारों के प्रवेश को रोकने के लिए कदम उठाने के इच्छुक होंगे।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की इस ज़बरदस्त प्रथा को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चार आदेश दिए हैं; **10 मार्च, 2014 (एक वर्ष के भीतर परीक्षण); 1 नवंबर, 2017 (विशेष 11 फास्ट-ट्रैक कोर्ट); 25 सितंबर, 2018 (आपराधिक मामलों का प्रकाशन); 13 फरवरी, 2020 (आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण)।** दुर्भाग्य से, इनमें से कोई भी आदेश पार्टियों को साफ, विश्वसनीय और ईमानदार उम्मीदवारों को प्रवेश देने के बजाय आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोक पाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग के निर्देशों (दिनांक 6 मार्च, 2020 और 10 अक्टूबर, 2018 के पत्रों में) में दिनांक 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 को उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों का प्रकाशन और रिकॉर्डिंग सहित चयन करने का कारण बताना होगा।

13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 6 मार्च, 2020:

1. केन्द्र और राज्य के चुनाव स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी वेबसाइट पर लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों सहित अपराधों की प्रकृति, सम्बन्धित विवरण जैसे क्या आरोप तय किए गए हैं, सम्बन्धित न्यायालय, मामला संख्या आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें।
2. राजनीतिक दलों को भी ऐसे चयन का कारण देना होगा और आपराधिक छवि के बिना अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है।
3. चयन सम्बन्धित कारण उम्मीदवारों की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होंगे, ना कि केवल चुनाव में जीतने की क्षमता।
4. यह जानकारी भी इसमें प्रकाशित की जाएगी: (a) एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र; (b) फेसबुक और ट्विटर सहित राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर।
5. ये विवरण उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रकाशित किए जाएंगे, जो भी पहले हो। अभियान के दौरान मतदाताओं की आवधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने अब नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के अगले दिन से शुरू होने वाली अवधि और मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान आपराधिक इतिहास के प्रचार के लिए निम्नलिखित समयरेखा निर्धारित की है,
 - नामांकन वापस लेने के 4 दिनों के भीतर।
 - अगले 5वें – 8वें दिनों के बीच।
 - 9वें दिन से अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान की तारीख से दो दिन पहले)
6. सम्बन्धित राजनीतिक दल उक्त उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग के साथ इन निर्देशों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ ऐसी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस से सम्बन्धित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को अदालत के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में लाएगा।

25 सितंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 10 अक्टूबर, 2018:

उम्मीदवारों के लिए:

1. चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म को भरना होगा और इस फॉर्म में आवश्यक रूप से सभी विवरण शामिल होने चाहिए।
2. यह उम्मीदवार के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में, मोटे अक्षरों में बताएगा।
3. यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, तो उसे अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।

राजनीतिक दलों के लिए:

1. सम्बन्धित राजनीतिक दल को अपनी वेबसाइट पर आपराधिक छवि रखने वाले उम्मीदवारों से सम्बन्धित उपरोक्त जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाएगा।

राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों के लिए:

1. राजनीतिक दल और उम्मीदवार दोनों के लिए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र वापस लेने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक तीन अलग-अलग तिथियों पर घोषणा पत्र प्रकाशित करना अनिवार्य है। इस मामले को कम से कम 12 के अक्षर आकार में प्रकाशित किया जाना चाहिए और समाचार पत्रों में उपयुक्त रूप से रखा जाना चाहिए। टीवी चैनलों में घोषणा के मामले में, मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की घोषणा के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया एक प्रारूप है।
2. उम्मीदवार/राजनीतिक दलों द्वारा निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में, रिटर्निंग अधिकारी उन्हें एक लिखित अनुस्मारक देंगे और चुनाव के अंत तक अनुपालन न करने की स्थिति में, रिटर्निंग अधिकारी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे जो भारत के निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा। भारत निर्वाचन आयोग मामले में अंतिम निर्णय लेगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इस तरह के अनुस्मारक के मानक प्रारूप को भी पत्र में संलग्न किया गया है।
3. सभी राजनीतिक दल; मान्यता प्राप्त दल और गैर-मान्यता प्राप्त दल यह कहते हुए सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने निर्देशों से युक्त पेपर कटिंग के साथ निर्देशों और संलग्न की आवश्यकताओं को पूरा किया है। यह चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

इसके बाद, अगले 15 दिनों के भीतर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें अनुपालन की पुष्टि की जाए और बकायेदारों के मामलों को इंगित किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारूप/फॉर्म:

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फॉर्म C7 और C8 को राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा उचित नाम और पदनाम के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। फॉर्म C8 पर संबंधित राजनीतिक दल की मुहर भी लगेगी।

प्रारूप/फॉर्म	कार्रवाई करने की जिम्मेवारी	मंच
C1	Candidates	To publish information regarding criminal background in Newspapers and TV
C2	Political Parties	To publish information regarding criminal background in Newspapers, TV and Political party's website
C7	Political Parties	To publish information regarding criminal background along with reasons in Newspapers, social media platforms, website of political parties
C8	Political Parties to the Election Commission of India	Compliance Report with respect to the SC judgment dated 13th Feb, 2020

रिपोर्ट के मुख्य अंश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ने वाले 1286 उम्मीदवारों के प्रारूप C7 का विश्लेषण किया है।

यह डेटा राजनीतिक दलों की वेबसाइटों के साथ-साथ सोशल मीडिया से संकलित किया गया है जो उपरोक्त राज्य विधानसभा चुनावों की अवधि से पहले और उसके दौरान काम कर रहे थे। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने ट्विटर हैंडल पर फॉर्म C7 विवरण प्रकाशित किया है। हो सकता है पार्टियों ने डेटा प्रकाशित किया हो और हो सकता है कि हमारे रिकॉर्ड में न आए हों।

क्र०सं०	चुनाव	चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवार	विश्लेषित किए गए राजनीतिक दलों की संख्या	राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार	आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	प्रकाशित प्रारूप C7 वाले आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या
1	Maharashtra Assembly 2024	4136	11	1052	503	355
2	Jharkhand Assembly 2024	1211	9	234	105	84
	कुल	5347	20*	1286	608	439

20*

विश्लेषण किए गए राजनीतिक दलों की संख्या

439

प्रारूप सी7 में आपराधिक मामले प्रकाशित करने वाले उम्मीदवार की संख्या (72 प्रतिशत)

169

प्रारूप सी7 में आपराधिक मामले प्रकाशित नहीं करने वाले उम्मीदवार की संख्या (28 प्रतिशत)

* कुछ राजनीतिक दलों ने सभी राज्यों में चुनाव लड़ा है

प्रारूप C7 का विश्लेषण – महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024

राजनीतिक दलों का विश्लेषण:

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में, चुनाव लड़ने वाले 158 राजनीतिक दलों में से, इस रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित 11 राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया है।

1. Bharatiya Janata Party
2. Bahujan Samaj Party
3. Indian National Congress
4. Maharashtra Navnirman Sena
5. Nationalist Congress Party
6. Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar
7. Shiv Sena
8. Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
9. Rashtriya Samaj Paksha
10. Samajwadi Party
11. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

आपराधिक पृष्ठभूमि

- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए **1052** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से **503 (48 प्रतिशत)** राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए **1052** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से **335 (32 प्रतिशत)** राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- ☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए कारण बताए गए हैं:—
 - आपराधिक मामलों वाले 503 में से 355 (71 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं।
 - गंभीर आपराधिक मामलों वाले 335 में से 243 (73 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं।
 - आपराधिक मामलों वाले 148 (29 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा उनके चयन का कोई कारण नहीं बताया गया है।
 - 1 उम्मीदवार के लिए प्रारूप **C7** प्रकाशित किया गया है, जबकि उसके द्वारा दायर हलफनामे में कोई आपराधिक मामला नहीं दर्शाया गया है। यह राजनीतिक दलों की ओर से लापरवाही और ईसीआई और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना को दर्शाता है।

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
1	Pune	Khadakwasala	Wanjale Mayuresh Ramesh	MNS	0	0	Candidate Mayuresh Ramesh Wanjale has very strong administrative capacity. And looking at his experience he has been chosen.	All other names who were aspirants, did not have any relevant experience in public life to hold such a senior post.

☞ कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 उम्मीदवारों के लिए दिए गए कारण:-

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	गंभीर बीएनएस की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
1	Pune	Baramati	Ajit Anantrao Pawar	NCP	40	20	0	A Dynamic leader and visionary, he has been in touch with farmers and others. He is known for his straightforward and down to earth approach. He has held many positions and is a problem solver who first understands how his decisions will affect the people at all levels. He is dedicated to the development of Maharashtra and its people.	All other names who were, aspirants did not have any relevant experience in public life to holds such senior post.
2	Sindhudurg	Kankavli	Nitesh Narayan Rane	BJP	38	31	35	Candidate Nitesh Narayan Rane is Senior Legislator. He has very strong administrative capacity. Looking at his experience he has been chosen.	All other names who were, aspirants did not have any relevant experience in public life to holds such senior post.
3	Satara	Phaltan (Sc)	Digamber Rohidas Agawane	Rashtriya Samaj Paksha	35	79	0	Digamber Rohidas Aagwane is a very influential leader & social worker. Always stand for the poor people and are always ready to serve them and raise their voice for justice and rights. He has done a lot of social work due to which he has gained immense respect and popularity in mass. Rashtriya samaj Paksha has made him its candidate from 255 Phaltan (SC).	Because Digamber Rohidas Aagwane is better than other applicants.

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	गंभीर बीएनएस की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
4	Pune	Purandar	Sanjay Chandukaka Jagtap	INC	27	0	1	Shri Sanjay Chandukaka Jagtap is representing 202 Purandar Vidhan Sabha as MLA since 2019 and is the Pune District President of Indian National Congress Party and has been selected because of his long experience in administration and cooperative sector.	This candidate has been selected as all other aspirants have less experience in public works. Enjoys good administrative and work experience in public life.
5	Nagpur	Nagpur Central	Bunty Baba Shelke	INC	26	8	0	The candidate is a young and dedicated social worker, who has done good work in social justice and upliftment of poor and downtrodden people of his constituency specially during COVID-19 and is serving in the constituency from more than last 20 years. The candidate has served the party on different posts such as National General Secretary of Indian Youth Congress, In-charge of Karnataka Youth Congress amongst others	The majority cases registered against the candidate are politically motivated cases. The candidate enjoys popularity among the youth, has been dedicated to the organization and enjoys support from within the party and among common people. The candidate is also a former Corporator from Nagpur Municipal Corporation, Nagpur.

तालिका: कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 उम्मीदवारों के लिए दिए गए कारण

☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए कारण:—

आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
The candidate is Senior Legislator. He has very strong administrative capacity. Looking at his experience he has been chosen.	All other names who were, aspirants did not have any relevant experience in public life to holds such senior post.
In comparison to the other candidates and their history, it was found to be suitable being the candidate has stated that false FIR has been lodged against him	The offences are not grave one seems to be based on political Vendetta. His image supported by the local office bearers of the party as clean and good.
The candidate comes from a background in public service and has been committed to the ideals of the party. Has been dedicated to the party organization for a long time and has been working for the people of the constituency.	Candidate has a good image in the constituency and is a promising face among the masses.
Candidate has very strong administrative capacity. and looking at his experience he has been chosen.	All other names who were aspirants, did not have any relevant experience in public life to hold such a senior post.
The candidate is the young and energetic leadership of the district. Growing up in a middle-class family, one is aware of the struggle of living in a middle-class family.	All the cases against the candidate have been registered due to the agitation for public questions. A candidate who is popular among the masses and has the ability to stand up and lead by himself has not been found. Therefore, no other candidate was selected.

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए कारण

☞ *आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल:—

राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों की संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों का प्रतिशत
NCP-Sharadchandra Pawar	51	51	100%
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	63	63	100%
Rashtriya Samaj Paksha	24	19	79%
NCP	32	3	9%
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	13	1	8%
Shiv Sena	52	3	6%
BSP	26	1	4%
BJP	102	3	3%
INC	59	2	3%
MNS	76	2	3%
SP	5	0	0%

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारूप C7 प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल

*इस रिपोर्ट को बनाते समय, कुछ राजनीतिक दलों के प्रारूप C7 डेटा वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, हो सकता है कि इसे पहले पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हो और बाद में हटा दिए गए हो।

☞ अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं:-

क्र०सं०	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की कुल संख्या
1	Ulhasnagar	Omie Pappu Kalani	NCP-Sharadchandra Pawar	15
2	Malegaon Outer	Advay (Aaba) Prashant Hiray	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	14
3	Sangola	Dipakaba Bapusaheb Salunkhe	Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)	14

तालिका: अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं

☞ कुछ उम्मीदवारों के प्रारूप C7 में अन्य विसंगतियां :-

दल का नाम	टिप्पणियां
BJP	For all candidates with cases against them the party has given the same word to word reason in the both sections for selection of candidate with criminal background and reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. Refer Party Website Link Given Here: https://maharashtra.bjp.org/
BSP	For all candidates with cases against them the party has given the same word to word reason in the both sections for selection of candidate with criminal background and reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. Refer Party Website Link Given Here: https://bahujansamajparty.net/format-c7
SP	For 99% candidates with cases against them the party has given the same word to word reason in this section "reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates". Refer Party Website Link Given Here: https://samajwadiparty.in/prees-releases
	<ul style="list-style-type: none"> • Details of criminal cases for Mangesh Ramesh Chavan (BJP candidate) are different in Format C-2 (8 cases) and Format C-7 (7 case) • Details of criminal cases for Choughule Mahesh Prabhakar (BJP candidate) are different in Format C-2 (4 cases) and Format C-7 (5 case) • Details of criminal cases for Dhangekar Ravindra Hemraj (INC candidate) are different in Format C-2 (9 cases) and Format C-7 (12 case) • Details of criminal cases for Rajesh Gangaram Yerunkar (INC candidate) are different in Format C-2 (1 case) and Format C-7 (2 case)

वित्तीय पृष्ठभूमि

☞ करोड़पति उम्मीदवार: 503 में से 418 (83 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं।

☞ अधिकतम संपत्ति: नीचे की तालिका में अधिकतम कुल संपत्ति वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों का विवरण उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ दिया गया है।

क्र०सं०	उम्मीदवार	राजनीतिक दल	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	आपराधिक मामलों की कुल संख्या	गंभीर आईपीसी/ बीएनएस की संख्या	कुल संपत्ति (₹)
1	Prashant Ramsheth Thakur	BJP	Raigad	Panvel	10	0	4,75,85,39,330 475 Crore+
2	Mangal Prabhat Lodha	BJP	Mumbai City	Malabar Hill	2	1	4,47,09,23,931 447 Crore+
3	Pratap Baburao Sarnaik	Shiv Sena	Thane	Ovala Majiwada	9	5	3,33,32,95,113 333 Crore+

तालिका-आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनकी संपत्ति सबसे अधिक है

प्रारूप C7 का विश्लेषण – झारखंड विधानसभा चुनाव 2024

राजनीतिक दलों का विश्लेषण:

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में, चुनाव लड़ने वाले 73 राजनीतिक दलों में से, इस रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित 9 राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया गया है।

1. Bharatiya Janata Party
2. Indian National Congress
3. Bahujan Samaj Party
4. Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation
5. Janata Dal (United)
6. Jharkhand Mukti Morcha
7. Rashtriya Janata Dal
8. Samajwadi Party
9. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

आपराधिक पृष्ठभूमि

- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए 234 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 105 (45 प्रतिशत) राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।
- ☞ उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामले:— विश्लेषण किए गए 234 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 82 (35 प्रतिशत) राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं।

☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए कारण बताए गए हैं:-

- आपराधिक मामलों वाले 105 में से 84 (80 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं
- गंभीर आपराधिक मामलों वाले 82 में से 66 (80 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए कारण प्रस्तुत किए गए हैं
- आपराधिक मामलों वाले 21 (20 प्रतिशत) उम्मीदवारों के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा उनके चयन का कोई कारण नहीं बताया गया है

☞ कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों के लिए कारण दिए गए हैं।

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	गंभीर आईपीसी / बीएनएस की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
1	Giridih	Dhanwar	Babu Lal Marandi	BJP	15	29	9	Shri Babulal Marandi is a dedicated individual with deep understanding and relentless efforts in social service. They have built strong relationships, earned trust, and achieved significant positive changes in the community, making them the best choice to represent the constituency.	As a dedicated party worker, he had an edge over other individuals, considering the fact that whatever charges were alleged in the FIR has no substance and were purely with a vindictive approach and personal vendetta being waged by his political opponents. The concerned 17 cases are registered with reason of waging public protest and the party believes that there will be no adverse outcome against the alleged accused.

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	गंभीर आईपीसी/बीएनएस की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
2	Hazaribagh	Barhi	Manoj Kumar Yadav	BJP	12	4	13	<p>Shri Manoj Kumar Yadav is a highly dedicated individual who has tirelessly devoted their time and efforts to social service in the constituency for many years. They have a deep understanding of the needs and challenges of the people and have worked tirelessly to improve the quality of life for all members of the community. They have built strong relationships with the voters, establishing a genuine and positive rapport with them, and have earned their trust and respect. Their unwavering commitment to the betterment of the community is reflected in their track record of achievements and the numerous positive changes they have brought about. We are confident that they are the best choice to represent the constituency and will continue to serve the people with passion, dedication and integrity.</p>	<p>As a dedicated party worker, he had an edge over other individuals, considering the fact that whatever charges were alleged in the FIR has no substance and were purely with a vindictive approach and personal vendetta being waged by his political opponents. The concerned 11 cases are registered with reason of waging public protest and the party believes that there will be no adverse outcome against the alleged accused.</p>

क्र० सं०	जनपद	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	गंभीर आईपीसी/बीएनएस की संख्या	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
3	Palamu	Bishrampur	Rajesh Mehta	BSP	10	15	0	In comparison to the other candidates and their history, it was found to be suitable being the candidate has stated that false FIR has been lodged against him	The offences are to be based on political Vendetta. His image supported by the local office bearers of the party as clean and good.

तालिका: कुल आपराधिक मामलों के साथ अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों के लिए दिए गए कारण

☞ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए कारण:-

आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारण	साफ छवि वाले उम्मीदवारों को न चुनने के कारण
In comparison to the other candidates and their history, it was found to be suitable being the candidate has stated that false FIR has been lodged against him	The offences are to be based on political Vendetta. His image supported by the local office bearers of the party as clean and good.
He is a dedicated individual with deep understanding and relentless efforts in social service. They have built strong relationships, earned trust, and achieved significant positive changes in the community, making them the best choice to represent the constituency.	The Party has carefully chosen the current candidate as the most qualified to represent the constituency, believing in their skills and dedication to serve the people and uphold BJP values. With confidence in their ability to bring about positive change, the party stands by its decision to field this candidate for the betterment of the constituency.
He stays connected with the people of the constituency and attends their problems. He is meritorious and had achievements during his tenure as Social Worker. He is well qualified.	We found no other party functionary more meritorious and people friendly who listens to people and solves their problem so quickly.
The selected candidate is young, earnest, educated, sincere and dedicated towards the party as well as the candidate has a very good reputation in the society as he is doing social work at large scale in his area.	Better than other applicant.

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों द्वारा आमतौर पर बताए गए कारण

☞ *आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल:—

राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों की संख्या	प्रारूप C7 के बिना उम्मीदवारों का प्रतिशत
JMM	16	16	100%
SP	7	3	43%
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	3	1	33%
BJP	34	1	3%
BSP	16	0	0%
CPI(ML)(L)	4	0	0%
INC	18	0	0%
JD(U)	2	0	0%
RJD	5	0	0%

तालिका: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए प्रारूप C7 प्रकाशित नहीं करने वाले राजनीतिक दल

* इस रिपोर्ट को बनाते समय, कुछ राजनीतिक दलों के प्रारूप C7 डेटा वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं थे। हालाँकि, हो सकता है कि इसे पहले पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हो और बाद में हटा दिए गए हो।

☞ अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं:-

क्र०सं०	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की कुल संख्या
1	Silli	Amit Kumar	JMM	8
2	Barhait (ST)	Hemant Soren	JMM	5
3	Baghmara	Suraj Mahato	SP	4

तालिका: अधिकतम आपराधिक मामलों वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनके चयन के कारण प्रकाशित नहीं हुए हैं

☞ कुछ उम्मीदवारों के प्रारूप C7 में अन्य विसंगतियां :-

दल का नाम	टिप्पणियां
INC	For 90% candidates with cases against them the party has given the same word to word reason in the both sections for selection of candidate with criminal background and reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. Refer Party Website Link Given Here: https://inc.in/c-7-vidhan-sabha
BJP	For 90% candidates with cases against them the party has given the same word to word reason in this section "reason as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates". Refer Party Website Link Given Here: https://bjpharkhand.org/wp-content/uploads/33-CANDIDATE-C7-FORM.pdf
<ul style="list-style-type: none"> Details of criminal cases for Babu Lal Marandi (BJP candidate) are different in Format C-2 (15 cases) and Format C-7 (16 cases) 	

वित्तीय पृष्ठभूमि

☞ करोड़पति उम्मीदवार: 105 में से 80 (76 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं।

☞ अधिकतम संपत्ति: नीचे की तालिका में अधिकतम कुल संपत्ति वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों का विवरण उनके आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ दिया गया है।

क्र०सं०	उम्मीदवार	निर्वाचन क्षेत्र	राजनीतिक दल	आपराधिक मामलों की कुल संख्या	गंभीर आईपीसी की संख्या	कुल संपत्ति (₹)
1	Krishna Nand Tripathi	Daltonganj	INC	4	1	70,91,26,167 70 Crore+
2	Ajoy Kumar	Jamshedpur East	INC	1	2	43,76,26,439 43 Crore+
3	Munna Singh	Hazaribagh	INC	3	0	41,38,90,063 41 Crore+

तालिका-आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शीर्ष 3 उम्मीदवार जिनकी संपत्ति सबसे अधिक है

एडीआर द्वारा अवलोकन

I. सामान्य

हमारे राजनीतिक दलों के कामकाज को केवल भारत के चुनाव आयोग और कानून व्यवस्था जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किए गए कड़े उपायों को अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। केवल राजनीतिक दलों को जारी की गई चेतावनियों से कुछ हासिल नहीं होगा। 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रधान मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विवेक पर छोड़ दिया था कि वे अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों को नियुक्त न करें। हालांकि, 2015 से, लोक सभा व राज्यों की विधानसभाओं में अपराध की दर केवल बढ़ी है। 30 अगस्त, 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने न केवल केंद्र सरकार से “संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने” के लिए कहा था, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि “केंद्र सरकार को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से रोकने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।

जो लोग ईमानदार, सक्षम और चरित्रवान पुरुष हैं उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और प्रमुख नीति निर्माता होना चाहिए। अफसोस की बात है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति का कोई आधार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, राजनीतिक प्रतिष्ठानों ने पूरी तरह से अवहेलना या जानबूझकर विभिन्न समितियों, नागरिकों और नागरिक समाजों द्वारा सुझाए गए सुधारों को दरकिनारा कर दिया है। यह सर्व-विदित है कि सन 1999 से कई समितियों द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशें टंडे बस्ते में पड़ी हैं।

प्रारूप C7 में, कॉलम के तहत जहां “साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है” के तहत, यह देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में प्रश्न के स्पष्ट उत्तर देने के बजाय, सफाई दी जाती है कि प्रश्न में उम्मीदवार का चयन क्यों किया गया है।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए BJP, INC, BSP, SP, NCP, Shiv Sena, RJD और अन्य की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप C7 की सूची से स्पष्ट है, कि राजनीतिक दलों ने सर्वोच्च न्यायालय और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों को कितनी लापरवाही से लिया है। आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का कारण बताते हुए, सभी उम्मीदवारों के लिए एक जैसे कारण दोहराए गए हैं।

II. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की घोर अवमानना

राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक इतिहास के प्रकाशन के एडीआर के विश्लेषण से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन में बड़ी कमियों का पता चलता है। कई राजनीतिक दलों, के पास आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के विवरण और कारणों को प्रकाशित करने के लिए एक कार्यात्मक वेबसाइट तक नहीं थी। दूसरी ओर, कुछ राजनीतिक दल जिनके पास एक वेबसाइट लिंक था, उन्होंने इस महत्वपूर्ण जानकारी को बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई या उनके पास दुर्गम वेबपेज थे। कुछ और भी थे जिनके पास चुनाव की जानकारी समर्पित करने के लिए एक अलग अनुभाग था, लेकिन वे या तो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहे या वेबसाइट पेज खराब थे। विशेष रूप से, यहां तक कि उन कुछ राजनीतिक दलों में भी जिन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रारूप C7 प्रकाशित किया था, उनमें कुछ गंभीर समस्याएं थी जो इन शपथपत्रों के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी के विश्लेषण पर सामने आईं। इनमें शामिल हैं: (a) अधिकांश दलों ने दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के निराधार और आधारहीन कारण बताएं हैं जैसे की जीतने की संभावना, व्यक्ति की लोकप्रियता, अच्छे सामाजिक कार्य करना, अपराध गंभीर प्रकृति का न होना, (b) फॉर्म के माध्यम से उल्लिखित कारणों को दुहराना, न केवल एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिए, बल्कि अन्य दलों की ओर से चुनाव लड़ने वालों के लिए भी, और (c) प्रारूप C2 का प्रकाशन (उम्मीदवारों के ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी का विवरण) लेकिन प्रारूप C7 नहीं है (उम्मीदवारों के ऊपर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी कारण सहित)।

अन्य विसंगतियों में शपथपत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ना शामिल है, जैसे कि उम्मीदवार का नाम और चयन का कारण (जो प्रारूप C7 का प्राथमिक उद्देश्य है), साथ ही गलत प्रारूप में डेटा जमा करना। यह विशेष रूप से उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित मामलों की कुल संख्या और 'गंभीर आपराधिक मामलों' के तहत उनके वर्गीकरण के आलोक में चिंता का विषय है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए, किसी भी सार्वजनिक मंच पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निर्दलीय उम्मीदवारों को शामिल करने का कारण प्रदान नहीं किया गया है।

III. बाहुबल और धनबल के गठजोड़ को फटकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता

आपराधिक तत्व भारत में चुनाव के लिए उम्मीदवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में चुनावी प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हमारे समाज में राजनेताओं, नौकरशाहों और आपराधिक तत्वों के बीच सांठगांठ बढ़ती जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भारत में सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में इस तरह के एक मजबूत आपराधिक-राजनीतिक-नौकरशाही सांठगांठ का सामना भारत के चुनाव आयोग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा।

वर्तमान कानून यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और न्यायालयों द्वारा जारी किए गए बार-बार के आदेश, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं को सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के रूप में उच्च पदों पर कब्जा करने से रोक नहीं पाए हैं। हमारी न्यायिक प्रणाली के तहत दोषसिद्ध दर वर्षों से गिर रही है। इससे

भी महत्वपूर्ण बात, परिक्षण के लिए लिया गया समय बहुत लंबा है। इसके अलावा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा निरंतर अनुस्मारक और चेतावनियों के बिना राजनेता फॉर्म 26 के तहत आवश्यक प्रत्येक जानकारी को पूरी लगन या ठीक से प्रस्तुत नहीं करते हैं। नतीजा यह है कि कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन गए हैं।

IV. कानून, नियमों और विनियमों की अनुपस्थिति

राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन में कोई अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। नियमों या कानूनों के उल्लंघन के मामले में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को दंडित करने का कोई तरीका नहीं है। राजनीतिक दलों ने आरटीआई कानून के दायरे में आने से साफ इनकार कर दिया है। टिकटों को जीतने योग्य कारक के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, यह देखा गया है कि बाहुबली और धनबली एक विजेता संयोजन बनाते हैं। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार आसानी से लोक सभा और राज्य विधानसभा चुनावों में अपना रास्ता बनाते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में संकोच नहीं करते हैं।

V. अवमानना की कार्रवाई कैसे और कब की जाएगी?

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के मद्देनजर और चुनाव आयोग के 6 मार्च के पत्र के अनुसार, “यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग के साथ इस तरह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस से सम्बन्धित राजनीतिक दल द्वारा इस तरह के गैर-अनुपालन को अदालत के आदेशों/निर्देशों की अवमानना के रूप में लाएगा”। हालांकि, इन राजनीतिक दलों के खिलाफ इस तरह की कोई अवमानना कार्रवाई किए जाने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, नागरिकों को यह सुनिश्चित नहीं है कि क्या चुनाव आयोग ने हाल ही में हुए चुनावों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उसके निर्देशों का पालन न करने की सूचना सर्वोच्च न्यायालय को दी है।

VI. एडीआर द्वारा उठाए गए कदम:

- a) एडीआर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 13 फरवरी, 2020 और 25 सितंबर, 2018 के निर्देशों के राजनीतिक दलों द्वारा जानबूझकर अवमानना के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। जिसमें माननीय न्यायालय ने 17 मार्च 2023 के अपने निर्देशों में एडीआर को “भारत के चुनाव आयोग के समक्ष अपने उपाय अपनाने” का निर्देश दिया था।
- b) 19-06-2023 को एडीआर ने इन अनिवार्य निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा और उल्लंघन के संबंध में राजनीतिक दलों के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इस तथ्य को उजागर किया गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार अनुरोध और अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग सहित अन्य मुख्य हितधारक, राजनीतिक दल वर्ष 2023, 2022 और 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में पूरी तरह से विफल रहे थे।

- c) एडीआर द्वारा दायर आवेदन में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2023 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 2021 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दोषी राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।
- d) आवेदन दिनांक 19-06-2023 के आलोक में की गई कार्रवाई की स्थिति की जानकारी हेतु एडीआर द्वारा आयोग को 21-11-2023 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया था। यह पत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में आयोजित 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान ईसीआई को भेजा गया था। अपने पत्र के माध्यम से, एडीआर ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कराते हुए तत्काल और ठोस कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल न केवल अपने द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के बारे में सही और उपयोगी विवरण प्रकाशित करें, बल्कि ऐसा करने से पार्टियों को विश्वसनीय और ईमानदार उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भी मजबूर होना पड़े क्योंकि मतदाताओं के बीच आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी की उपलब्धता और पहुंच है। हालांकि, आयोग की ओर से की गयी किसी कार्रवाई के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और न ही दायर आवेदन की कोई सूचना प्राप्त हुई है।
- e) 08-01-2024 को एडीआर ने गुजरात इलेक्शन वॉच के साथ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान **C7** और **C8** फॉर्म में पाई गई विसंगतियों को उजागर किया था। फॉर्म **C7** को केवल अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना और स्थानीय भाषा में नहीं, जिससे लाखों मतदाता उम्मीदवारों के बारे में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि की जानकारी से वंचित हो जाते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारते समय निराधार कारण, छोटे फॉन्ट का आकार, निर्णय में निर्धारित व्यापक प्रचार की कमी, फॉर्म **C7** के प्रकाशन में असमानता और अस्पष्टता, फॉर्म **C7** के क्रॉस सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन नहीं करना। स्थिति की गंभीरता के बावजूद और गुजरात राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ महत्वपूर्ण आपराधिक विवरण प्रस्तुत करते समय पाई गई गंभीर गड़बड़ियों को उजागर करने के बावजूद, ईसीआई द्वारा कोई कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

एडीआर द्वारा सिफारिशें

राजनीतिक में आपराधिकता की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समाधानों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो इसे करने की हिम्मत और इच्छाशक्ति की। कानून बनाने वाले ऐसे कानून नहीं बनाएंगे, जो आपराधिक मामलों वाले राजनेताओं के बेपनाह और अनियंत्रित प्रविष्टि को प्रतिबंधित करें। संवैधानिक संस्थाएं और संस्थान 'सत्ता की कमी' जैसे कारणों से शरण लेती रहेंगी। दरअसल, 20 जुलाई, 2021 को राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों के प्रकाशन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, "हमें यकीन है कि विधायी शाखा इसे न केवल अभी, लेकिन भविष्य में किसी भी समय आगे नहीं बढ़ाएगी"। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जहां सभी राजनीतिक दल हमारी चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के अलोक में किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हमेशा एकजुट और दृढ़ हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव में प्रमुख कर्तव्य धारकों को उनकी भूमिका के कर्तव्यों की याद दिलाना अनिवार्य हो जाता है। अपराधीकरण की मौजूदा समस्या का समाधान करने का एकमात्र तरीका न्यायपालिका, विभिन्न समितियों, नागरिक समाज और नागरिकों द्वारा प्रस्तावित प्रशंसनीय समाधानों पर तुरंत अमल करने की आवश्यकता है।

जब तक इन रुझानों में सुधार नहीं किया जाता है, तब तक हमारी वर्तमान चुनावी और राजनीतिक स्थिति और बिगड़ने के लिए बाध्य है। "राजनीति के अपराधीकरण" के कारण बाहुबली और धनबली आपराधिक तत्व चुनाव में भाग ले सकते हैं और सभी मतदाता अपने को असहाय महसूस करते हैं। इसलिए, एडीआर निम्नलिखित सिफारिशों का प्रस्ताव करता है कि हमारे सहभागी लोकतंत्र और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाने वालों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

A. मामला विशेष सिफारिशें:

- a) **कारण बताओ नोटिस:** चुनाव आयोग को वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और आयोग के वैध निर्देशों का पालन करने में विफलता, इच्छाशक्ति की पूर्ण कमी, निंदनीय पूर्वाग्रह और आवश्यक कानूनों की अनुपस्थिति के लिए राजनीतिक दलों और राजनेताओं को फटकार लगानी चाहिए। उन राजनीतिक दलों को "कारण बताओ नोटिस" भेजा जाना चाहिए जो अनिवार्य निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। इसके अलावा, आयोग को उसके 25 सितंबर 2018 और 13 फरवरी 2020 के आदेशों की खुलेआम अनदेखी करने वाले राजनीतिक दलों, उनके पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के खिलाफ तुरंत सख्त अवमानना कार्रवाई करनी चाहिए।
- b) **राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करना:** आयोग को उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर देना चाहिए जो आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 29(ए) (5) के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस तरह के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं।

- c) राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करना:** चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुच्छेद 16ए के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाना चाहिए और इसलिए, भारत के चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ अनुच्छेद 16ए के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की लगातार विफलता और अवज्ञा के लिए किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता को निलंबित या वापस लेना चाहिए।
- d) किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा आपराधिक मामलों पर वार्षिक सूचना दाखिल करना:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत 'राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश और आवेदन प्रारूप' और 'राजनीतिक दलों का पंजीकरण (अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत करना) आदेश, 1992' के तहत भारत के चुनाव आयोग को न केवल पंजीकरण के समय अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संयोजक, कोषाध्यक्ष आदि जैसे पदाधिकारियों के आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने पदाधिकारियों के आपराधिक मामलों के बारे में सालाना जानकारी दर्ज करने के लिए भी कहना चाहिए। इस तरह के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें शून्य वाले मामले भी शामिल हो और चुनाव के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- e) ईसीआई द्वारा तैयार और साझा की जाने वाली चूककर्ता राजनीतिक दलों की सूची:** भारत के चुनाव आयोग से 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपने पत्र में लागू करने की उम्मीद है। आयोग को प्रत्येक चुनाव के बाद ऐसे दोषी राजनीतिक दलों की एक सूची तुरंत सर्वोच्च न्यायालय को सौंपनी चाहिए। जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए ऐसे दागी उम्मीदवारों के नाम और ऐसे चयन के कारण भी सूचीबद्ध होने चाहिए। इन सूचियों को हर चुनाव के बाद सही रूप से तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए और इसे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- f) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अवमानना की रिपोर्ट करना:** चुनाव आयोग को प्रत्येक चुनाव के दौरान ऐसी चूक की रिपोर्ट तुरंत सर्वोच्च न्यायालय को देनी चाहिए। इसके अलावा, ईसीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दलों द्वारा फॉर्म C7 और C8 में दिए गए कारणों के आलोक में ठोस कदम उठाकर समाचार पत्रों, टीवी, चैनलों, पार्टी की वेबसाइट आदि में कारणों का सावधानीपूर्वक प्रकाशन और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चूककर्ताओं को सख्त और निरंतर अनुस्मारक दे कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को राजनीतिक दलों द्वारा सही मायने में लागू किया जा रहा है।

- g) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय को “न्याय और कानून के शासन” का अंतिम संरक्षक होने के नाते वर्तमान स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक दलों और राजनेताओं को इस तरह की अवमानना, इच्छाशक्ति की पूर्ण कमी, निंदनीय प्रवृत्ति और आवश्यक कानूनों की अनुपस्थिति के लिए फटकार लगानी चाहिए। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक दलों, उनके पदाधिकारियों और उम्मीदवारों के खिलाफ 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी, 2020 के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए तुरंत कड़ी अवमानना की कार्यवाही करनी चाहिए।
- h) उल्लंघन के लिए पार्टियों को परिणाम भुगतने होंगे:** राजनीतिक दलों को यह महसूस करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश अनिवार्य हैं और इसलिए उनका अनुपालन वैकल्पिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2018 और 13 फरवरी 2020 के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने के लिए पार्टियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अपर्याप्त खुलासे, अमान्य और सामान्य कारणों, जीत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने आदि के लिए उन पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित एक राजनीतिक दल के प्रभारी अधिकारी को भी इस तरह के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- i) अनुपालन की निगरानी के लिए अलग सेल का निर्माण:** ईसीआई को चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए C7 और C8 फॉर्मों की निगरानी और ऑडिट के लिए एक अलग सेल का गठन करना चाहिए ताकि इन फॉर्मों के अनुपालन की सूक्ष्मता से जांच/सत्यापन/दोबारा जांच कि जा सके और इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें बकाएदारों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सख्त और निरंतर अनुस्मारक भी शामिल होना चाहिए। 2020 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 656 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पैरा 73 में ब्रजेश सिंह बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य ने पहले ही आयोग से अपेक्षा की है कि वह निर्णय के तहत दोषी पक्षों के खिलाफ अपेक्षित कार्यवाही करे, जिसमें आवश्यक अनुपालन की निगरानी के लिए एक अलग सेल का निर्माण और किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऐसे गैर-अनुपालन के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत अवगत करें।
- j) स्पष्टीकरण दिशानिर्देश:** ईसीआई को विशेष रूप से राज्यों में स्थानीय समाचार पत्रों सहित समाचार पत्रों में उपयोग किए जाने वाले प्रारूप, फॉन्ट आकार, भाषा आदि के संबंध में अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने हुए संशोधित दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। इन दिशानिर्देशों में यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि प्रारूप C7 को उसी प्रारूप में प्रकाशित किया जाना चाहिए जैसा कि ईसीआई ने 6 मार्च, 2020 और 10 अक्टूबर, 2018 के अपने निर्देशों में दिया था और राजनीतिक दल अपनी पसंद के आधार पर इसे बदल नहीं सकते हैं या इसे एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। एक समान प्रारूप से मतदाता के लिए किसी भी समाचार पत्र में C7 फॉर्म की पहचान करना आसान हो जाएगा।

- k) एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन:** सर्वोच्च न्यायालय ने ईसीआई को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का भी निर्देश दिया था जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक मामलों के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो, ताकि एक ही बार में प्रत्येक मतदाता को अपने मोबाइल फोन पर ऐसी जानकारी मिल सके।
- l) व्यापक जागरूकता अभियान:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि ईसीआई को प्रत्येक मतदाता को उसके जानने के अधिकार और सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी की उपलब्धता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाए। यह सोशल मीडिया, वेबसाइट, टीवी विज्ञापन, प्राइप टाइम बहस, पैम्फलेट आदि सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ईसीआई को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस उद्देश्य के लिए एक फंड बनाने का आदेश दिया था जिसमें न्यायालय की अवमानना के लिए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

B). गैर-अपराधीकरण पर अन्य प्रमुख सिफारिशें:

- I. उम्मीदवारों के चयन के लिए मापदंड:** राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सख्त मापदंड होना चाहिए। 13 फरवरी, 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राजनीतिक दलों को पहले से ही उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने की आवश्यकता है और साफ छवि वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवारों के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता है। निर्णय के अनुसार ऐसे चयन का कारण संबंधित उम्मीदवार की उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में होना चाहिए और न की उसकी चुनाव "जीतने" की क्षमता।
- II. तय आरोपों पर अयोग्यता:** अपराधीकरण की समस्या से निपटा जा सकता है यदि ऐसे दागी उम्मीदवारों को अपराध के चरण और डिग्री दोनों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह उन उम्मीदवारों को सार्वजनिक कार्यालयों में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है जिनके खिलाफ न्यायालय द्वारा कम से कम 5 वर्ष के कारावास के अपराधों के आरोप लगे हैं और जो मामला चुनाव से कम से कम 6 महीने पहले दायर किया गया है।
- III. जघन्य अपराधों के लिए स्थायी अयोग्यता:** नागरिकों के लिए कानून बनाना और देश के लिए नीतियां बनाने वाले कानून निर्माताओं पर जघन्य अपराधों का आरोप लगाना या उन्हें दोषी ठहराना निंदनीय है। हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, अपहरण, लूट आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी उम्मीदवारों को स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
- IV. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूर्व घोषणा:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चुनाव से कम से कम 3 महीने पहले घोषित की जानी चाहिए और उन्हें किसी विशेष पार्टी को बदलने/शामिल होने और अगले चुनाव में उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और उसके स्रोत के बारे में विशेष कारण बताते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह सभी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जानी चाहिए।

- V. झूठे शपथपत्रों को तत्काल अयोग्यता का कारण बनना चाहिए:** उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्रों में गलत जानकारी देना चुनाव आयोग द्वारा हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आखिरकार, यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आरपीए अधिनियम, 1951 की धारा 125A उम्मीदवारों को गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से नहीं रोक पाई है क्योंकि इसमें केवल 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है, और इसलिए अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है। चुनावी शपथपत्रों में गलत जानकारी, कोई जानकारी न देना, झूठी जानकारी देने वाले उम्मीदवारों को तत्काल अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
- VI. नोटा को अधिक शक्ति:** 23 सितंबर, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय के नोटा के फैसले पर अगला कदम उठाना आवश्यक है। (a) यदि नोटा को किसी भी उम्मीदवार की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं, तो किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए, और दुबारा चुनाव होने चाहिए; (b) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिलते हैं तो उन्हें दुबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- VII. विधायकों/सांसदों के न्यायालय में लंबित मामलों की फास्ट ट्रैकिंग:** सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को तेजी से ट्रैक किया जाना चाहिए और 10 मार्च, 2014 और 1 नवंबर, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्कर्ष पर लाया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत दी गई ऐसी बेलगाम और मनमानी शक्ति का सरकारों द्वारा शक्तिशाली राजनेताओं, मंत्रियों और अन्य अमीर और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेने को आदेश देकर दुरुपयोग तो नहीं किया जाता है।
- VIII. राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया जाए:** राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, संसद को चलाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने से न केवल राजनीतिक दलों और पार्टी नेताओं के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी, बल्कि यह नागरिकों को लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का भी मौका देगा। आरटीआई कानून के तहत पार्टियों को लाने से नागरिकों को न केवल आंतरिक पार्टी चुनाव, टिकट वितरण के मापदंड जैसी जानकारी, ऑडिट, समीक्षा, जांच और आकलन का अधिकार होगा, बल्कि लोगों को हमारे राजनीतिक दलों द्वारा मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के लिए पदाधिकारियों से निश्चित और सीधा जवाब लेने की भी अनुमति देगा। इसलिए, यह उचित समय है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस वर्तमान स्थिति पर ध्यान दे और पार्टियों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाकर 3 जून, 2013 सीआईसी के आदेश को लागू करे।

- IX. राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता:** राजनीतिक दल हमारे संवैधानिक, लोकतांत्रिक, सामाजिक-आर्थिक गठन के अंतिम भंडार और संरक्षक हैं, लेकिन हमारे पास राजनीतिक दलों से पूरी तरह से निपटने वाला एक भी व्यापक कानून नहीं है। एक व्यापक कानून के अभाव में, नागरिक राजनीतिक वर्ग और राजनेताओं के कामकाज पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनका मूल्यांकन और ऑडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, राजनीतिक दलों के कामकाज को विनियमित करने, उनकी पार्टी के संविधान की मान्यता, पार्टी के अंगों के विभिन्न स्तरों पर चुनाव, पंजीकरण और गैर-पंजीकरण की शर्तों, खातों के अनिवार्य रखरखाव, संगठनात्मक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून की सख्त आवश्यकता है। यह प्रावधान '170वें विधि आयोग की रिपोर्ट, भाग 3, अध्याय 1' और NCRW रिपोर्ट के अध्याय 8 में अनुशंसित है।
- X. राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए प्रावधानों का परिचय दें:** दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक होने के बावजूद, हमारे राजनीतिक दलों का कामकाज करने का तरीका बहुत अलोकतांत्रिक है। राजनीतिक दल अपने 'आचार संहिता' और स्वयं के लिए शुरू किए गए सुधार में बुरी तरह से विफल रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शी निर्णय लेने, टिकट वितरण, पदाधिकारियों के चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता और मजबूत संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने के लिए अनिवार्य प्रावधान किए जाने चाहिए। इसमें सभी आंतरिक पार्टी पदों और उम्मीदवारों के चयन के लिए सभी चुनावों के लिए गुप्त बैलेट मतदान अनिवार्य होना चाहिए, जैसा कि 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।
- XI. सांसदों और विधायकों की वार्षिक रिपोर्ट:** निर्वाचित सांसदों और विधायकों को पिछले वर्ष की अपनी उपलब्धियों और अगले वर्ष की योजना का विवरण देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 'वार्षिक रिपोर्ट' प्रस्तुत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यह रिपोर्ट लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा की वेबसाइट और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- XII. फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट, "पंजीकृत मतों का 50 प्रतिशत + 1":** कानून आयोग, NCRWC, जैसी विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार 'किसी भी उम्मीदवार को तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह 50 प्रतिशत से अधिक मत हासिल नहीं कर लेता।' जब किसी उम्मीदवार को मतदाताओं की आवश्यक संख्या नहीं मिलती है, तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच अधिकतम वोट पाने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि डाले गए वोटों का 50 प्रतिशत + 1 निर्वाचित घोषित करने के लिए एक आसान आवश्यकता है, एक अधिक कठोर आवश्यकता और उपयुक्त और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आदर्श है।

Association for Democratic Reforms and National Election Watch present

THE UPGRADED MYNETA APP

DOWNLOAD TODAY!

And be a part of our **#MeraVoteMeraDesh** Campaign

Visit our website:
www.adrindia.org
www.myneta.info

Scan the QR code to download

To get information about candidates/parties/MPs/MLAs/corporators/PILs in courts

Journalist Helpline no.-80103-94248
Subscribe to ADR on [WhatsApp](#) for updates: 7840067840

Visit: adrindia.org and myneta.info
Email: adr@adrindia.org

To contact ADR State Partners, visit: <https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators>

Social Media Handles



Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, Local Body Elections & Financial Reports and ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android App

MyNeta

The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones

Office Address

Association for Democratic Reforms
T-95, C.L. House, 2nd Floor,
Gulmohar Commercial Complex
Gautam Nagar,
Near Green Park Metro Station (Gautam Nagar exit),
New Delhi-110 049
Phone : +91-011-4165-4200

सम्पर्क:

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर)/नेशनल इलेक्शन वॉच (एन.ई.डब्ल्यू)

मीडिया और पत्रकार हैल्पलाईन		+ 91 80103 94248	adr@adrindia.org
मेजर जनरल अनिल वर्मा (सेवानिवृत्त)	हेड/नेशनल कोर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच	011 4165 4200	adr@adrindia.org anilverma@adrindia.org
प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री आई.आई.एम बैंगलोर	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		tsastry@gmail.com
प्रोफेसर जगदीप छोकर सेवानिवृत्त आई.आई.एम अहमदाबाद,	फाउण्डर मेम्बर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंव नेशनल इलेक्शन वॉच		jchhokar@gmail.com

अस्वीकृति

इस रिपोर्ट में दी गयी संपूर्ण जानकारी को राजनीतिक दलों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए प्रारूप C7 से लिया गया है। एडीआर उम्मीदवारों की किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं करता जब तक राजनीतिक दल डेटा नहीं बदलते। एडीआर, किसी भी अन्य स्रोत या जानकारी का उपयोग नहीं किया करता। जानकारी को राजनीतिक दल की वेबसाइट के अनुसार होना सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी में अन्तर होने पर राजनीतिक दलों के द्वारा वेबसाइटों में दी गयी जानकारी को सही माना जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इस रिपोर्ट प्रकाशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे।